प्रेस विज्ञप्ति
16.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने मेसर्स आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 12/2/2026 को लगभग 7.72 करोड़ रुपये की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी मुकेश मोदी और राहुल मोदी ने व्यक्तियों और सहयोगियों के एक समूह के साथ मिलीभगत की, जिन्होंने सोसायटी के निवेशकों/सदस्यों से करोड़ों रुपये एकत्र किए, जिसे बाद में आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों, फर्मों, एलएलपी आदि द्वारा निकाल लिया गया, जिससे निवेशकों को गलत नुकसान हुआ और उन्हें गलत लाभ हुआ।

ईडी की जाँच में पता चला कि मुकेश मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों का सोसाइटी और उसके फंड पर नियंत्रण था। उन्होंने गरीब निवेशकों को उनके निवेश पर असामान्य रूप से अधिक रिटर्न का आश्वासन देकर लुभाया और तदनुसार हजारों करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा किया। जाँच के दौरान पता चला कि सोसाइटी के फंड को असुरक्षित ऋणों, सोसाइटी में कार्यरत मुकेश मोदी के परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि के भुगतान, एजेंसी कमीशन से पारिवारिक फर्म, मुकेश मोदी, उनके परिवार और सहयोगियों आदि के नुकसान हिस्सेदारी व्यापार, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में डालकर डायवर्ट किया गया था।

जांच में पता चला कि मुकेश मोदी और उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और उनकी कंपनियों/फर्मों/एलएलपी ने अपराध से प्राप्त आगम (पीओसी) के रूप में लगभग 3830.06 करोड़ रुपये अर्जित किए थे, जिसका उपयोग उन्होंने अचल/चल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया था।

उक्त मामले में, ईडी द्वारा पहले ही 4 पीएओ जारी करके 2176 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। इसके अलावा, 139 अभियुक्त व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष एक अभियोजन शिकायत और एक पूरक शिकायत दायर की गई है, और माननीय विशेष न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।